

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 सितम्बर 2018—भाद्र 23, शक 1940

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2018

क्र. ई-5-683-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे, विकअ-सह-आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को दिनांक 29 अगस्त 2018 से 1 सितम्बर 2018 तक, तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2, 3 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री राजीव चन्द्र दुबे, भाप्रसे, सचिव, जेल विभाग तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकअ-सह-आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, द्वारा विकअ-सह-आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन का कार्यभार गृहण करने पर श्री राजीव चन्द्र दुबे, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती पल्लवी जैन गोविल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पल्लवी जैन गोविल अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

5957

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2018

क्र. ई-5-765-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती केरेलिन खोंगवार देखमुख, भाप्रसे (1996) को समसंख्यक आदेश दिनांक 16 मई 2018 द्वारा दिनांक 14 मई से 31 अगस्त 2018 तक, एक सौ दस दिन तक स्वीकृत चाईल्ड केयर अवकाश के अनुक्रम में, अब, उन्हें दिनांक 1 से 14 सितम्बर 2018 तक, चौदह दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती केरेलिन खोंगवार देखमुख, भाप्रसे (1996) को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती केरेलिन खोंगवार देखमुख, भाप्रसे (1996) अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-819-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री केदार लाल शर्मा, भाप्रसे., आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ को दिनांक 4 से 7 सितम्बर 2018 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2, 3 एवं 8, 9 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री केदार लाल शर्मा, भाप्रसे, की अवकाश अवधि में आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ का प्रभार श्रीमती स्वाति मीणा नायक, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल को अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री केदार लाल शर्मा, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री केदार लाल शर्मा, भाप्रसे, द्वारा आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती स्वाति मीणा नायक, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगीं.

(5) अवकाशकाल में श्री केदार लाल शर्मा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री केदार लाल शर्मा, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-824-आयएएस-लीव-5.—(1) श्री धनंजय सिंह भदौरिया, आयएएस., उपसचिव, सूक्ष्म लघु, मध्यम उद्यम विभाग को दिनांक 27 से 28 अगस्त 2018 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री धनंजय सिंह भदौरिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, उप सचिव, सूक्ष्म लघु, मध्यम उद्यम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री धनंजय सिंह भदौरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री धनंजय सिंह भदौरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-915-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री नेहा मारव्या सिंह, आयएएस., उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 20 अगस्त 2018 से 15 फरवरी 2019 तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री नेहा मारव्या को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में सुश्री नेहा मारव्या को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री नेहा मारव्या अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-961-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मयंक अग्रवाल, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रीवा को दिनांक 10 से 14 सितम्बर 2018 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8, 9 एवं 15, 16 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मयंक अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री मयंक अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मयंक अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-980-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती नेहा मीना, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत इंदौर को दिनांक 27 अगस्त से 1 सितम्बर 2018 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2, 3 सितम्बर, 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती नेहा मीना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती नेहा मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती नेहा मीना अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त, 2018

क्र. ई-1-227-2018-5-एक.—श्री ए. पी. श्रीवास्तव, भाप्रसे (1984), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को

क्र. ई-1-05-2018-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये निम्नलिखित भाप्रसे, अधिकारियों को मुख्य सचिव वेतनमान रुपये 2,25,000 निश्चित वेतन (पे मेट्रिक्स-17) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	तालिका मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति पर पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया।
(1)	(2)	(3)	(4)
1	डॉ. एम. मोहन राव (1987) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग.	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग.	अध्यक्ष, राजस्व मंडल
2	श्रीमती गौरी सिंह (1987), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग.	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग.	अध्यक्ष, राजस्व मंडल

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2018

क्र. ई-5-501-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी. आर. नायडू, आयएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 19 जुलाई 2018 द्वारा दिनांक 16 से 21 अगस्त 2018 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 16 से 20 अगस्त 2018 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 19 जुलाई 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2018

क्र. ई-5-764-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विवेक पोरवाल, आयएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक

अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल पदस्थ किया जाता है। साथ ही उन्हें पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ) का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-1-228-2018-5-एक.—श्री नीरज मंडलोई, भाप्रसे (1993), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज निगम (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-1-05-2018-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये निम्नलिखित भाप्रसे, अधिकारियों को मुख्य सचिव वेतनमान रुपये 2,25,000 निश्चित वेतन (पे मेट्रिक्स-17) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	तालिका मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति पर पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया।
(1)	(2)	(3)	(4)
1	डॉ. एम. मोहन राव (1987) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग.	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग.	अध्यक्ष, राजस्व मंडल
2	श्रीमती गौरी सिंह (1987), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग.	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग.	अध्यक्ष, राजस्व मंडल

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिनांक 17 अप्रैल 2018 को एक दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री विवेक पोरवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक पोरवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
फजल मोहम्मद, अवर सचिव "कार्मिक".

## गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2018

क्र. एफ 1(ए) 59-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अशोक कुमार गोयल, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध ग्वालियर को दिनांक 27 अगस्त से 1 सितम्बर 2018 तक छह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 26 अगस्त व दिनांक 2-3 सितम्बर 2018 को विज्ञप्त अवकाश के साथ स्वीकृत करता है।

(2) श्री अशोक कुमार गोयल, भापुसे, का चालू कार्य श्री संजय कुमार, भापुसे उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, ग्वालियर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक गोयल, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अशोक गोयल, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अशोक गोयल, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक गोयल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए) 148-95-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री डी. पी. गुप्ता, भा. पु. से., पुलिस महानिरीक्षक, (रेल) मध्यप्रदेश, भोपाल को 12 से 14 सितम्बर 2018 तक, तीन दिवस अर्जित अवकाश एवं

दिनांक 15-16 सितम्बर, 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (रेल) मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीदास, अवर सचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2018

फा. क्र. 3665-3806-21-ब (दो)-2018.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 52 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (8) एवं मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 के नियम 7 के (1) एवं नियम 8(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण, जबलपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन की ओर से अभियोजन संचालन हेतु श्री अनुपम पाठक, जिला अभियोजन अधिकारी, जबलपुर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि अथवा अन्य कोई आदेश होने तक के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संतोष प्रसाद शुक्ला, अतिरिक्त सचिव.

## संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2018

क्र. एफ-11-02-2018-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-02-2018-तीस, दिनांक 16 फरवरी 2018 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था।

(2) शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

(3) अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्द्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है :—

## अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्थानीय क्षेत्र का नाम	राजस्व क्षेत्र क्रमांक जो संरक्षण अधीन सम्मिलित होना है	क्षेत्रफल (हे. मे.)	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं	स्मारक की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
म. प्र.	पन्ना	पन्ना	जनपद कार्यालय के पास पन्ना.	मिर्जा राजा का मकबरा पन्ना.	ख. नं. 2439 जु. 1	0.044	शासन	नहीं	80×60 फुट

क्र. एफ-11-06-2018-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-06-2018-तीस, दिनांक 20 अप्रैल 2018 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

(2) शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

(3) अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12, सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्द्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है :—

## अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र का नाम	स्मारक का नाम	राजस्व क्षेत्र क्रमांक जो संरक्षण अधीन सम्मिलित होना है	क्षेत्रफल (हे. मे.)	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं	स्मारक की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
म. प्र.	पन्ना	पन्ना	छत्रपाल पार्क के अन्दर	छत्रसाल पार्क स्थित मकबरा क्रमांक 01.	ख. नं. 3234/9	0.071	शासन	नहीं	100×77
म. प्र.	पन्ना	पन्ना	छत्रपाल पार्क के अन्दर पन्ना.	छत्रसाल पार्क स्थित मकबरा क्रमांक 02.	ख. नं. 3234/9	0.050	शासन	नहीं	77×71

क्र. एफ-11-07-2018-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-07-2018-तीस, दिनांक 9 मई 2018 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

(2) शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

(3) अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है :-

#### अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र का नाम	स्मारक का नाम	राजस्व क्षेत्र क्रमांक जो संरक्षण के अधीन है.	क्षेत्रफल (हे. मे.)	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	सागर	मालथौन	अटाकर्नेलगढ़	अटा का किला.	ख. नं. 933	0.033	शासकीय	नहीं

क्र. एफ-11-20-2017-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-20-2017-तीस, दिनांक 3 जनवरी 2018 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

(2) शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

(3) अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है :-

#### अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व क्षेत्र क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है.	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	सीहोर	जावर	देवबडला बीलपान	प्राचीन मंदिर समूह देवबडला.	RF 88 VII	200×200	वन विभाग	धार्मिक पूजा के अधीन है.

क्र. एफ-11-22-2017-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-22-2017-तीस, दिनांक 18 जनवरी 2018 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

(2) शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

(3) अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है :-

### अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व क्षेत्र क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है.	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	शिवपुरी	शिवपुरी	ग्राम बिलोकलां	शिव मंदिर प्राचीन मठ.	सर्वे नं. 575	0.03 हे.	पुजारी जी मोहनलाल शर्मा पुत्र कमरलाल.	नहीं.

क्र. एफ-11-23-2013-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-23-2013-तीस, दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

(2) शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

(3) अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है :-

### अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है.	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	राजगढ़	सारंगपुर	अकोदिया रोड पुरानी शकर मिल के पास.	पीर मासूम का मकबरा.	सर्वे नं. 2922	रकवा क्षेत्र 0.061 हे.	आबादी म. प्र. शासन.	नहीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पदमरेखा ढोले, अवर सचिव.

## उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2018

क्र. एफ 16-18-2018-ए-ग्यारह.—राज्य शासन द्वारा देश के बदलते आर्थिक परिदृश्य एवं निवेशकों से प्राप्त सुझावों के दृष्टिगत उद्योग संवर्धन नीति-2014 में निम्नानुसार संशोधन/नवीन प्रावधान सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया:—

1. बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के निरसित होने के फलस्वरूप उद्योग संवर्धन नीति, 2014 में बीमार/बंद उद्योगों को अधिग्रहण/क्रय कर पुनर्संचालित करने पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का “विशेष पैकेज 2014” एवं राज्य में स्थित बीमार बीमार औद्योगिक इकाइयों को दी जाने वाली वित्तीय एवं अन्य रियायतों का ‘पालिसी पैकेज 2014’ में प्रावधानित सुविधाओं के अन्तर्गत वृहद उद्योगों के संदर्भ में उद्धृत सुविधाओं को विलोपित किया जाकर वृहद श्रेणी की बंद औद्योगिक इकाइयों के प्रबंधन परिवर्तन उपरान्त पुनर्संचालित करने पर संलग्न परिशिष्ट ‘अ’ अनुसार विशेष पैकेज का प्रावधान किया जाता है।

2. उद्योग संवर्धन नीति-2014 (यथा संशोधित 2017) की कण्डिका 16—वृहद श्रेणी के उद्योगों के लिये निवेश प्रोत्साहन सहायता की कंडिका 16.1 में निम्नानुसार भौगोलिक गणक को सम्मिलित करते हुए नवीन कंडिका 16.1.5 निम्नानुसार स्थापित की जाती है:—

16.1.5 भौगोलिक गणक—प्रदेश में स्थित जिलों के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिकता विकासखंड में स्थापित होने वाले पात्र उद्योगों को भौगोलिक गणक ‘1.2’ तक अतिरिक्त निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि का लाभ दिया जायेगा. परन्तु उपरोक्त गणक सीमेंट परियोजनाओं के लिए ‘1’ ही मान्य किया जावेगा. सीमेंट परियोजनाओं के लिए निर्यात गणक भी ‘1’ मान्य किया जावेगा.

3. उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2017) अन्तर्गत अपात्र उद्योगों की सूची परिशिष्ट IV के सरल क्रमांक 14 “सीमेंट (क्लिकर सहित) विनिर्माण” को विलोपित किया जाता है एवं सरल क्रमांक 6 को निम्नानुसार संशोधित कर प्रतिस्थापित किया जाता है:—

क्रमांक 6—“केन्द्र तथा राज्य सरकार या उनके उपक्रमों द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाइयों को नीति अंतर्गत

सुविधायें देने हेतु निवेश संवर्धन पर मंत्रिपरिषद् समिति द्वारा प्रकरणवार विचार किया जा सकेगा.”

4. उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2017) में नवीन अनुक्रमांक 19 “निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को रोजगार प्रदान करने पर वित्तीय सहायता” सम्मिलित करते हुए निम्न प्रावधान जोड़ा जावे:—

19.1. निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को रोजगार प्रदान करने पर वित्तीय सहायता.—ऐसे उद्योग जिनमें कुल रोजगार का न्यूनतम 5% नियोजन दिव्यांगजनों को किया जावेगा उन्हें निम्नानुसार सुविधा प्रदान की जावेगी:—

19.1.1 स्किल डेव्लपमेन्ट.—ऐसे उद्योगों में दिव्यांगजनों को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में प्रशिक्षित कराने पर हुए व्यय की शतप्रतिशत प्रतिपूर्ति.

19.1.2 कर्मचारियों की भविष्य निधि एवं ईएसआई अन्तर्गत सहायता.—दिव्यांगजन कर्मचारियों हेतु नियोक्ता के अंश के रूप में जमा किये जा रहे व्यय की प्रतिपूर्ति प्रति कर्मचारी अधिकतम रुपये 6 हजार प्रतिमाह अथवा वास्तविक जमा अंश राशि दोनों में से जो कम हो की प्रतिपूर्ति 5 वर्ष हेतु.

19.1.3 ऐसे दिव्यांगजन कर्मचारी जो आयुष्मान भारत योजना 2018 अन्तर्गत निःशुल्क बीमा की पात्रता में नहीं आते हैं, ऐसे दिव्यांगजन कर्मचारी का बीमा कराने पर देय प्रीमियम की प्रतिपूर्ति.

19.1.4 ऐसे उद्योग जिन्होंने भारत सरकार की किसी योजना अन्तर्गत उपरोक्त आशय की सहायता प्राप्त की है तो देय सहायता में से उक्त सहायता घटायी जावेगी.

5. उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2017) की कण्डिका-10 वित्तीय सहायता में नवीन कंडिका क्रमांक 10.1.4 को निम्नानुसार स्थापित किया जाता है:—

“किसी भी स्थिति में इकाई को दी जाने वाली सकल निवेश सहायता, इकाई में किये गये पूंजी निवेश से अधिक नहीं होगी अर्थात् समस्त सहायता मर्दों जिसमें अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सहायता सम्मिलित



कर कुल सहायता की अधिकतम सीमा/परिमाण इकाई द्वारा किये गये स्थाई पूंजी निवेश से अधिक नहीं होगी।”

6. उद्योग संवर्धन नीति 2014 के अनुक्रमांक 10.1 को विलोपित करते हुए निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे:—

“इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन/रियायत संबंधी वित्तीय सहायता केवल विनिर्माण क्षेत्र के लिये लागू है, परन्तु रु. 50 करोड़ (भूमि के मूल्य को छोड़कर) से अधिक की ऐसी पर्यटन परियोजनाएँ जो नगरपालिका निगम की सीमा के बाहर स्थापित हों उन्हें इस नीति में उल्लेखित सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध होगा. यह स्पष्ट किया जाता है कि पर्यटन परियोजनाओं को राज्य शासन की किसी एक नीति अंतर्गत ही लाभ लेने की पात्रता होगी. अर्थात् जो परियोजनाएं उद्योग नीति के अन्तर्गत लाभ लेना चाहती हैं उन्हें पर्यटन सहित राज्य की किसी अन्य नीति अन्तर्गत लाभ की पात्रता नहीं होगी. उपरोक्त प्रावधान के अनुसार सहायता पर्यटन विभाग द्वारा ही उपलब्ध करायी जावेगी तथा इस आशय तक यह प्रावधान पर्यटन नीति का अंश माना जावेगा. अन्य सेवा क्षेत्र की इकाईयों के लिये पृथक् प्रोत्साहन/रियायतें लागू होंगी जो संबंधित विभागों की प्रचलित नीति के अनुसार होंगी।”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव.

परिशिष्ट “अ”

वृहद श्रेणी की बंद इकाईयों के प्रबंधन परिवर्तन उपरान्त पुनर्संचालित करने पर विशेष पैकेज

1. विशेष पैकेज की प्रभावशीलता—इस विशेष पैकेज का लाभ केवल ऐसी परियोजनाओं को देय होगा जो उद्योग संवर्धन नीति 2010 (यथा संशोधित 2012) अथवा इसके बाद लागू होने वाली नीतियों से अधिशासित हो.

2. बंद इकाईयों के प्रबंधन परिवर्तन उपरान्त पुनर्संचालित करने पर पूर्व स्वीकृत सहायता के निरंतरीकरण की सुविधा का लाभ—पूर्व स्वीकृत सहायता के निरंतरीकरण की सुविधा का लाभ इकाई में एक वर्ष से अधिक उत्पादन निरुद्ध होने की स्थिति में ही

प्रदान किया जावेगा एवं उत्पादन निरुद्ध रहने की अवधि के समतुल्य अवधि के समतुल्य अवधि को सुविधा के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त पात्रता अवधि के रूप से प्रदान किया जावेगा.

3. बकाया देयकों के भुगतान की सुविधा—इकाई के बंद होने के दिनांक तक संबंधित विभागों/संस्थाओं के बकाया देयकों को अधिग्रहण दिनांक से 3 माह में एकमुश्त जमा कराने पर, ब्याज/शास्ति की माफी अन्यथा बकाया राशि (ब्याज/शास्ति सहित) को 6 अर्धवार्षिक किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जावेगी.

4. नवीन इकाई की भांति सुविधा का लाभ—प्लांट एवं मशीनरी में नवीन पूंजी निवेश, पूर्व पूंजी निवेश के 30 प्रतिशत या रु. 50 करोड़ (इनमें से जो भी कम हो) होने पर प्रचलित नीति अन्तर्गत नवीन इकाई के समान सुविधा का लाभ दिया जावेगा.

5. मेगा प्रोजेक्ट का दर्जा—प्लांट एवं मशीनरी में रु. 100 करोड़ से अधिक के नवीन पूंजी निवेश किया जाता है तो इकाई को मेगा प्रोजेक्ट का दर्जा दिया जावेगा एवं कस्टमाइज्ड पैकेज हेतु निवेश संवर्धन पर मंत्रि परिषद् समिति के समक्ष आवेदन की पात्रता होगी.

6. उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2017) अन्तर्गत उल्लेखित अपात्र उद्योगों के लिये प्रावधानित इस विशेष पैकेज की सुविधा लागू नहीं होगी.

मंदा राठौर, अवर सचिव.

## स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2018

क्र. एफ-44-21-18-बीस-2.—राज्य सरकार राष्ट्रीय आविष्कार अभियान (RAA) की गतिविधियों के राज्य में सुचारु संचालन हेतु राज्य स्तरीय स्टेरियरिंग समिति का गठन करती है. जिसमें निम्नलिखित अध्यक्ष/सदस्य होंगे:—

स. क्र.	शासकीय पदेन अधिकारी/नाम	पद
(1)	(2)	(3)
1	प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग	अध्यक्ष
2	आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय	सदस्य
3	आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य

(1)	(2)	(3)
4	आयुक्त, तकनीकी शिक्षा	सदस्य
5	संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र	सदस्य सचिव
6	सचिव माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल.	सदस्य
7	निदेशक राज्य ऑनलाइन विज्ञान केन्द्र, भोपाल.	सदस्य
8	नोडल अधिकारी, RAA-MANIT भोपाल.	सदस्य
9	नोडल अधिकारी, RAA-IISER भोपाल.	सदस्य
10	नोडल अधिकारी, RAA-IIT इन्दौर.	सदस्य
11	महानिदेशक म. प्र. काउंसिल ऑफ साईंस एण्ड टेक्नालॉजी भोपाल.	सदस्य
12	श्री अविनीश त्रिपाठी नोडल अधिकारी RAA-TSG नई दिल्ली.	सदस्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रमोद कुमार सिंह, उपसचिव.

एतद्वारा राज्य शासन द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 (संशोधित 2013) की शक्तियों का उपयोग करते हुए धारा 83 (1) को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

No. F-5-16--2017-LIV-2-83.—Constitution of Tribunals, etc—(1) The State Government shall, by notification in the official Gazette, constitute as many Tribunals as it may think fit, for the determination of any dispute, question or other matter relating to a waqf property, eviction of a tenant or determination of rights and obligations of the lessor and the lessee of such property, under this Act and define the local limits and jurisdiction of such Tribunals]

क्र. एफ-5-16-2017-चौवन-2-83.—अधिकरणों का गठन—(1) राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन द्वारा उतने अधिकरण गठित किये जायेंगे जितने की वह उचित समझें, जो इस अधिनियम अन्तर्गत वक्फ या वक्फ संपत्ति के किरायेदार के निष्कासन या पट्टादाता एवं पट्टेदार के अधिकार एवं उत्तरदायित्व का विनिश्चयन एवं स्थानीय सीमाओं को परिभाषित एवं ऐसे अधिकरणों के क्षेत्राधिकार विनिश्चय कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार मालवीय, अवर सचिव.

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2018

क्र. एफ-5-16-2017-चौवन-2.—एतद्वारा, राज्य शासन, द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 (संशोधित 2013) की धारा 83 (1) की शक्तियों का उपयोग करते हुए वक्फ अधिकरण का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार निर्धारित करती है. क्रमांक एफ-5-16-2017-चौवन-2-83 वक्फ अधिकरण की स्थापना में अधिकरण द्वारा वक्फों के विवाद, प्रश्न या वक्फों के अन्य किसी भी विषयों से संबंधित विवादों के निपटारे, किरायेदारों की बेदखली, अतिक्रमणकारियों की बेदखली अथवा भू-स्वामीया किरायेदार के अधिकार, उत्तरदायित्व, वक्फ संपत्ति की स्वत्व घोषणा, उसके संरक्षण आदि का निर्धारण का अधिकार वक्फ अधिकरण को तथा धारा 85 के प्रावधानुसार वक्फ के मामलों में सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार के वर्जन का निर्धारण करती है.

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2018

क्र. एफ-03-15-2009-तीन-जेल.—राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग के आदेश क्र. एफ-03-15-2009-तीन-जेल, दिनांक 15 सितम्बर 2014 को निरस्त करते हुए, मध्यप्रदेश बंदी परिवीक्षाधीन सम्मोचन अधिनियम, 1954 एवं तदाधीन निर्मित नियम, 1964 के नियम 6 के उपनियम (5) के अन्तर्गत राज्य परिवीक्षा मण्डल का पुनर्गठन कर श्री इन्द्रजीत सिंह राजपूत पुत्र श्री एम.एल. राजपूत (एडवोकेट) निवासी-37, जैन धर्मशाला रोड शंकराचार्य नगर स्टेशन बजरिया, भोपाल को आगामी तीन वर्षों के लिये अशासकीय सदस्य नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय नथानियल, अवर सचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

### कार्यालय, कुलाधिपति, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महु, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 01 सितम्बर 2018

क्र. एफ 1-8-17-रा.स.-यू.ए.1-1456.—मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 18 सितम्बर 2017 को अधिसूचना क्रमांक एफ 52-1-2017-अड़तीस-3 जारी कर डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महु, जिला इन्दौर में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2015 (क्र. 02 सन् 2016) की धारा 44 के प्रावधान प्रभावशील किए गए हैं। राज्य शासन के परामर्श पर अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल को आगामी आदेश तक के लिए अपने दायित्वों के साथ-साथ डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महु के कुलपति के पद पर नियुक्त किया गया था। विश्वविद्यालय में धारा 44 के प्रावधान दिनांक 17 सितम्बर 2018 तक प्रभावशील रहेंगे।

2. उच्च शिक्षा विभाग में अब अपर मुख्य सचिव पदस्थ नहीं हैं। उनके स्थान पर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है।

3. अतः, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महु, जिला इन्दौर को नियमित कुलपति की नियुक्त होने तक प्रो. सी. डी. नायक, प्रोफेसर, डॉ. अम्बेडकर विचार एवं दर्शन, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महु, जिला इन्दौर उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के पद का कार्य संपादित करेंगे।

आनन्दी बेन पटेल, कुलाधिपति, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महु.

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 9 अगस्त 2018

क्र. 286-5अ-एस.सी.-2-2018.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 19-196-2003-एक-4, भोपाल दिनांक 28 जून 2004 द्वारा गठित समिति के निर्णय के अनुसरण में उपरोक्त शासन की कण्डिका 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा शासकीय उ. मा. विद्यालय, बिहटा का नामकरण "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री रघुबर शरण सिंह शासकीय उ. मा. विद्यालय बिहटा" किये जाने का आदेश दिया जाता है।

मुकेश शुक्ल, कलेक्टर.

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 10 अगस्त 2018

भू-अर्जन-प्र.क्र. अ-82-17-18-पत्र क्र. 395-भू-अर्जन-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि ग्राम डिलौरा, तहसील रघुराजनगर की आराजी क्रमांक 844/3, रकबा 0.098 हे. कार्यपालन यंत्रि, लोक निर्माण विभाग भ/स के प्रस्तावानुसार सतना-मैहर बायपास के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गई थी, वर्तमान में सड़क का निर्माण किया जा चुका है। उक्त आराजी सड़क निर्माण क्षेत्र में प्रभावित न होने से मूल भूमि स्वामी को वापस किया जाना है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन			अर्जनीय रकबा (हे. में)	लगभग अर्जित रकबा
जिला	तहसील	ग्राम	आराजी नं.	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	डिलौरा	844/3	0.098

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है।

सतना, दिनांक 20 अगस्त 2018

भू-अर्जन-प्र.क्र. अ-82-17-18-पत्र क्र. 403-भू-अर्जन.—उप मुख्य अभियंता (निर्माण) प. म. रेल्वे, जबलपुर द्वारा सतना रीवा बड़ी रेलवे लाईन (50 कि.मी.) का दोहरीकरण हेतु निम्नलिखित ग्रामों के भू-अर्जन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे:—

ग्राम का नाम (1)	तहसील का नाम (2)	अर्जित रकवा (हे. में) (3)
बिरहुली	रघुराजनगर	2.456
सकरिया	रघुराजनगर	1.308
खारी	रामपुर बाघेलान	0.924
हिनाता पैपखार	रामपुर बाघेलान	1.014
बठिया	रामपुर बाघेलान	0.600
मनकहरी	रामपुर बाघेलान	1.253
सतरी कोठार	रामपुर बाघेलान	0.422
बम्हौरी	रामपुर बाघेलान	1.084

उपरोक्त ग्रामों के भू-अर्जन प्रस्तावों में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार स्थानीय प्रकाशन, स्थानीय समाचार-पत्रों में से जनसंदेश सतना में दिनांक 02 अप्रैल 2017 तथा मध्यप्रदेश राजपत्र भाग (1) में 14 अप्रैल 2017 को प्रकाशन कराया जाकर उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेल्वे जबलपुर को युक्त-युक्त सर्वेक्षण तलमापन, सीमा रेखा चिन्हित करने हेतु अधिकृत किया गया था.

प्रकरण में सहा. कार्यकारी इंजीनियर (नि.) प. म. रेल सतना द्वारा समय विस्तारित करते हुए धारा 19 के प्रकाशन हेतु अपने पत्र क्रमांक एएक्सईएन/सी/एसआरडी/एलए, दिनांक 19 जुलाई 2018 द्वारा अनुरोध किया गया कि भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (7) के परन्तुक में समुचित सरकार को बारह मास की अवधि को बढ़ाने की शक्तियां निहित हैं.

अतः अर्जित निकाय के अनुरोध पर अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (7) के तहत अवधि विस्तारित की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मुकेश शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

### महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2018

क्र. 2053-2003-2018-पचास-2.—राज्य शासन, एतद्वारा किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 की उपधारा (1) तथा (2) [सहपठित नियम 2016 का नियम 88 (10)] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम (3) में उल्लेखित व्यक्तियों को बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है:—

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	आरक्षित (महिला) सदस्य (3)	(अनारक्षित) सदस्य (4)
1	मुरैना	श्रीमती डॉ. नीरज गुप्ता	श्री राकेश शिवहरे
2	डिण्डौरी	—	श्री लल्ला यादव
3	शिवपुरी	श्रीमती प्रतिभा पाण्डे	श्री रामभजन राठौर
4	खण्डवा	श्रीमती श्वेता जैन	—
5	बालाघाट	श्रीमती नमिता चिले	डॉ. नीरज अरोरा
6	दमोह	—	श्री सुधीर जैन विद्यार्थी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. के. ठाकुर, उपसचिव.

**राजस्व विभाग**  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ.1-4/2018/सात/शा. 6 ----- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छिन्दवाड़ा जिले की तहसील चांद तथा तहसील चौरई की सीमाएं, उसमें से, छिन्दवाड़ा जिले की विद्यमान तहसील चांद के 27 ग्रामों- 1.पाल्हरी, 2.बांकानागनपुर, 3.पालादौन, 4.खुटपिपरिया, 5.मोहगांवकलां, 6. बरेलीपारमाल, 7.तेंदनी, 8.बरेलीपाररैयत, 9.मोरखा, 10.सीदप, 11.औरिया, 12.सीताझिर, 13. ग्रेठियाविस्साला, 14.हिर्री, 15.ग्रेठियादवामी, 16.सांख, 17.करलई, 18.देवरीमाल, 19.देवरीरैयत, 20. कुकरई, 21.ढुटमररैयत, 22.आमाझिरी, 23.ढुटरमाल, 24.राजलवाडी, 25.खुटिया, 26.झिरिया एवं 27.केरिया को अपवर्जित करते हुए तथा उसे चौरई तहसील में समाविष्ट करते हुए, परिवर्तित करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2018

पू. क्रमांक एफ-1-4-2018-सात-शा-6. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-1-4-2018-सात-शा-6, दिनांक 10 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

Bhopal, the 10th September 2018

No. F 1-4/2018/VII/6---- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alter the limits of Tahsil Chand and Chorai of Chhindwara District from the date of publication of this order in the Gazette by excluding the Village's 27- 1.Palhari, 2.Bankanaganpur, 3.Paladaun, 4.Khutpipriya, 5.Mohgaonkalan, 6.Bareliparmal, 7.Tendni, 8.Bareliparraiyat, 9.Morkha, 10.Seedap, 11.Auriya, 12.Sitajhir, 13.Grethyavissala, 14.Hirri, 15. Grethyadvami, 16.Sankh, 17.Karlai, 18.Devrimal, 19.Devrirraiyat, 20.Kukrai, 21.Dhutamrraiyat, 22.Aamajhiri, 23.Dhutarmal, 24.Rajalwari, 25.Khutiya, 26.Jhiria and 27.Karia of the present Tahsil Chand and comprising it into Chorai Tahsil and by excluding of Chhindwara District.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ANURAG SAXENA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2018

## सूचना

क्रमांक एफ-1-06/2018/सात-6 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य शासन देवास जिले में नवीन तहसील "भौरासा" सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेख किये गये अनुसार वर्तमान तहसील सोनकच्छ एवं तहसील टोंकखुर्द जिला देवास की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम (2) में दर्शाई तहसील को कॉलम (3) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है।

2/ मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे:-

## अनुसूची

क्र	प्रस्तावित तहसील	मुख्यालय	वर्तमान तहसील	परिवर्तन का स्वरूप	सीमाएं
1	2	3	4	5	6
1	भौरासा	भौरासा	सोनकच्छ	नवीन प्रस्तावित तहसील भौरासा में वर्तमान तहसील सोनकच्छ के 13 पटवारी हल्के (पटवारी हल्का क्र. 39 से 51 तक) के 31 ग्राम एवं वर्तमान तहसील टोंकखुर्द के 05 पटवारी हल्के (पटवारी हल्का क्र. 28, 29, 31, 32 एवं 35) के 09 ग्राम, इस प्रकार कुल 18 पटवारी हल्के के 40 ग्राम, अपवर्जित होकर नवीन तहसील भौरासा में सम्मिलित होंगे।	पूर्व में - तहसील सोनकच्छ पश्चिम में - तहसील देवास उत्तर में - तहसील टोंकखुर्द दक्षिण में - तहसील हाटपीपल्या
2	शेष तहसील सोनकच्छ	सोनकच्छ	सोनकच्छ	शेष तहसील सोनकच्छ में 56 पटवारी हल्के (पटवारी हल्का क्रमांक 01 से 38 एवं 52 से 69 तक) के 105 ग्राम होंगे।	पूर्व में - तहसील जावर जिला सीहोर पश्चिम में - प्रस्तावित तहसील भौरासा उत्तर में - तहसील टोंकखुर्द जिला देवास एवं जिला शाजापुर दक्षिण में- तहसील हाटपीपल्या
3	शेष तहसील टोंकखुर्द	टोंकखुर्द	टोंकखुर्द	शेष तहसील टोंकखुर्द में 55 पटवारी हल्के (पटवारी हल्का क्रमांक 01 से 27, 30, 33, 34 एवं 36 से 60 तक) के 105 ग्राम होंगे।	पूर्व में- तहसील सोनकच्छ पश्चिम में- तहसील देवास उत्तर में - जिला शाजापुर दक्षिण में- प्रस्तावित तहसील भौरासा

3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. 01-अ-82-2017-18

नरसिंहपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2018

प्ररूप V  
(नियम 10 देखे)

धारा 19 (1) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषणा का प्रकाशन सचिव, राजस्व विभाग

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन कासिंग स्टेशन निर्माण ग्राम रतनपुरा तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में कुल 5.610 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 5.610 हेक्टेयर है ग्राम रतनपुरा तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :

ग्राम - रतनपुरा तहसील गाडरवारा

क्र. सं.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	खसरा नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	कौशल्या वाई पत्नि हरकिशन लुहार निवासी बरांझ	57/3	भूमि स्वामी	सिंचित	0.531
		57/4	भूमि स्वामी	सिंचित	0.639
		57/6	भूमि स्वामी	सिंचित	0.484
		58/1	भूमि स्वामी	सिंचित	0.375
2	राममनोहर वल्द बन्नीप्रसाद ब्रा० सा० मनकवारा	58/2	भूमि स्वामी	सिंचित	0.224
3	मनोज कुमार वल्द सुदामा प्रसाद कौरव निवासी बरांझ	58/3	भूमि स्वामी	सिंचित	0.291
		61/2	भूमि स्वामी	सिंचित	0.016
4	अशोक कुमार वल्द बन्नीप्रसाद ब्रा० सा० मनकवारा	59	भूमि स्वामी	सिंचित	0.121
		61/1	भूमि स्वामी	सिंचित	0.012
5	नन्ही वाई जोजे बन्नीप्रसाद ब्रा० सा० मनकवारा	62/4	भूमि स्वामी	सिंचित	0.647
		61/3	भूमि स्वामी	सिंचित	0.101
		61/4	भूमि स्वामी	सिंचित	0.405
6	राहुल वल्द मनोहर ब्राम्हण	46	भूमि स्वामी	सिंचित	0.073
		47	भूमि स्वामी	सिंचित	
7	हरगोविंद वल्द सोबरन सिंह ब्रा० मनकवारा व अन्य	62/3/1 से 62/3/27 तक	भूमि स्वामी	सिंचित	0.162
8	ज्ञानवाई पुत्री सोबरनसिंह ब्रा. सा० मनकवारा	62/1	भूमि स्वामी	सिंचित	0.008
9	मुन्नीवाई पुत्री सोबरन सिंह ब्रा० सा० मनकवारा	62/7-8	भूमि स्वामी	सिंचित	0.012
10	सालकराम वल्द सोबरन सिंह ब्राम्हण सा० मनकवारा	62/2/1	भूमि स्वामी	सिंचित	0.012

11.	राजकुमार वल्द सोबरन सिंह ब्रा0 सा0 मनकवारा	62/5	भूमि स्वामी	सिंचित	0.012
12	हरगोविंद वल्द सोबरन सिंह ब्रा0 मनकवारा व अन्य	62/6/1 से 62/6/52 तक	भूमि स्वामी	सिंचित	0.383
13	शुभम उर्फ राजदीप , सत्यम पिस0 संतोष कौरव सा0 मनकवारा	70/1	भूमि स्वामी	सिंचित	0.352
14	संतोष कुमार वल्द रामनाथ कौरव मनकवारा	70/3	भूमि स्वामी	सिंचित	
15	कल्पना पति संतोष कौरव सा0 मनकवारा	70/4	भूमि स्वामी	सिंचित	
		70/5	भूमि स्वामी	सिंचित	
16	रवीन्द्र वल्द विजय सिंह कौरव निवासी बरांझ	70/6	भूमि स्वामी	सिंचित	0.377
17	प्रशांत कुमार वल्द विजय सिंह कौरव सा0 मनकवारा	71/1/1	भूमि स्वामी	सिंचित	0.065
		71/2	भूमि स्वामी	सिंचित	0.308
	<b>कुल</b>				<b>5.610</b>

1. यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है।

2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित

कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

3. चूंकि कांसिंग स्टेशन निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की

उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

4. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण

चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

5. जिला भू अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।



प्र. क्र. 2-अ-82-2017-18

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन कासिंग स्टेशन निर्माण ग्राम बरांझ तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में कुल 9.233 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 9.329 हेक्टेयर है ग्राम बरांझ तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :

ग्राम - बरांझ तहसील गाडरवारा प.ड.नं. 133

क्र. सं.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	खसरा नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे० में)
1	जितेन्द्र कुमार आ० रामजी प्रसाद कौरव सा० देह	148/1/1	भूमि स्वामी	सिंचित	0.420
2	भवानी प्रसाद वल्द रमेश चंद्र विश्वकर्मा सा० बेहानी	148/1/2	भूमि स्वामी	सिंचित	0.049
3	नरेन्द्र सिंह वल्द लाल कुंअर कौरव सा० देह	148/2	भूमि स्वामी	सिंचित	0.101
4	इन्दर सिंह वल्द मालक सिंह कौरव	148/3	भूमि स्वामी	सिंचित	0.101
5	रामनाथ सिंह वल्द प्रहलाद सिंह कौरव सा० देह	148/4	भूमि स्वामी	सिंचित	0.049
6	राकेश प्रसाद वल्द सेठलाल कौरव सा. देह	148/5	भूमि स्वामी	सिंचित	0.049
7	सौरभ वल्द महेन्द्र सिंह कौरव	149/1/1, 150/1	भूमि स्वामी	सिंचित	0.591
8	सुप्रिया पत्नि सीतल कौरव निवासी टेकापार	149/1/2	भूमि स्वामी	सिंचित	
9	सत्यनारायण वल्द हल्के कौरव	224/1	भूमि स्वामी	सिंचित	0.284
10	सोबरन सिंह वल्द हरप्रसाद कौरव सा० देह	224/2	भूमि स्वामी	सिंचित	0.155
		225/2	भूमि स्वामी	सिंचित	0.032
		226/1/1	भूमि स्वामी	सिंचित	0.458
		227/3-6-7-8	भूमि स्वामी	सिंचित	0.049
		202/4-5-6-7	भूमि स्वामी	सिंचित	0.008
11	ममता वाई पत्नि सोबरन सिंह कौरव	224/8	भूमि स्वामी	सिंचित	0.133
12	वृंदावन आ० गंगाराम कौरव सा० विजनपुर	226/1/2	भूमि स्वामी	सिंचित	0.049
13	सिंचाई विभाग नलकूप की नाली	224/5	भूमि स्वामी	सिंचित	0.004
14	रमेश वल्द हरप्रसाद सा० देह	226/3	भूमि स्वामी	सिंचित	0.008
15	आँकार उर्फ रामजी वल्द कोमल सिंह कौरव सा० देह	227/4	भूमि स्वामी	सिंचित	0.154

16	अतर सिंह आ० गुन्चीलाल सुमनवाई पत्नि अतर सिंह पारधी सा० देह	227/5	भूमि स्वामी	सिंचित	0.154
17	सत्तावाई पत्नि गोविंद पारधी सा० देह	201/1	भूमि स्वामी	सिंचित	0.243
18	देवकी नंदन वल्द तेज सिंह कौरव सा० मेहराखेडा	201/2	भूमि स्वामी	सिंचित	0.441
		201/5			
19	अम्मा वाई पत्नि श्यामलाल पारधी सा० देह	201/3	भूमि स्वामी	सिंचित	0.292
20	सुमन वाई पत्नि अतर सिंह पारधी सा० देह	201/4	भूमि स्वामी	सिंचित	0.202
21	रवीन्द्र सिंह वल्द पीताम्बर कौरव सा० देह	230/1	भूमि स्वामी	सिंचित	0.284
22	गम्भीर सिंह वल्द शीतल प्रसाद कौरव सा० देह	232	भूमि स्वामी	सिंचित	0.271
		235			0.797
23	अशोक वल्द श्यामलाल कौरव सा० देह	236/1	भूमि स्वामी	सिंचित	0.466
		236/2			0.522
		241			0.182
24	बैजनाथ वल्द गजराज सिंह कौरव सा० देह	242	भूमि स्वामी	सिंचित	0.348
		240	भूमि स्वामी	सिंचित	0.041
25	जगमोहन संजीत पिंसा० भाईजी कौरव सा० देह	243/1	भूमि स्वामी	सिंचित	0.753
26	पवन कुमार वल्द बाबूलाल कौरव सरोज वाई पत्नि पवन कुमार कौरव	243/2,	भूमि स्वामी	सिंचित	0.729
		243/3			
		244/1			
		244/3			
27	आशीष कुमार वल्द अनिल कुमार कौरव	244/5	भूमि स्वामी	सिंचित	0.049
		244/2			0.162
		246/2			0.299
28	परपोत्ताम वल्द हरप्रसाद कौरव	244/4	भूमि स्वामी	सिंचित	0.304
<b>कुल</b>					<b>9.233</b>

1. यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है।

2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

3. चूंकि कांसिंग स्टेशन निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

4. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

5. जिला भू अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

प्र. क्र. 02-अ-82-2017-18

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन कासिंग स्टेशन निर्माण ग्राम मनकवारा तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में कुल 1.226 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 1.226 हेक्टेयर है ग्राम मनकवारा तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :

ग्राम — मनकवारा तह0 गाडरवारा, प.ह.नं. 132

कं.सं.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	खसरा नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	औंकार प्रसाद वल्द हरिशंकर किरार सा0 देह	25/1/1	भूमि स्वामी	सिंचित	0.358
2	जगदीश प्रसाद वल्द हरिशंकर किरार सा0 देह	25/1/2	भूमि स्वामी	सिंचित	0.358
3	बाबूलाल वल्द जीवन लाल किरार सा0 देह	26/1	भूमि स्वामी	सिंचित	0.510
	कुल				1.226

1. यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है।

2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

3. चूंकि कासिंग स्टेशन निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

4. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

5. जिला भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

अभय वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 10 अगस्त 2018

भू-अर्जन-प्र. क्र. अ-82-17-18-पत्र क्र. 397-भू-अर्जन-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन		
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) आराजी नं.	लगभग अर्जित रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सतना	मझगवां	पिण्डरा	2043/1	0.049	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सतना (म. प्र.).	कुरी बांध 2 के नहर निर्माण हेतु.
			2045	0.036		
			3590/1क	0.227		
			2034/2क	0.023		
			2034/2ब	0.019		
			2035	0.013		
			2015	0.009		
			2016	0.052		
			1992	0.013		
			2012	0.005		
			3568	0.077		
			2010/2	0.050		
			2010/3	0.011		
			2006	0.041		
			2007	0.013		
			2005	0.042		
			कुल योग . .	0.680		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. अ-82-17-18-पत्र क्र. 404-भू-अर्जन-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके

द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) खसरा नं.	लगभग अर्जित रकबा (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सतना	रघुराजनगर	सोनौरा	115/3/1	0.085	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भ/स, सतना.	सतना मैहर वायपास सड़क निर्माण हेतु.
योग . .				0.085		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 20 अगस्त 2018

भू-अर्जन-प्र. क्र. अ-82-17-18-पत्र क्र. 405-भू-अर्जन-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) आराजी नं.	लगभग अर्जित रकबा (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सतना	रामनगर	खारा	489	0.600	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सतना (म. प्र.).	अधियारी सागर बांध में डूब क्षेत्र हेतु.
योग . .				0.600		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. अ-82-17-18-पत्र क्र. 406-भू-अर्जन-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध

में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

भूमि का वर्णन					धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) आराजी नं.	लगभग अर्जित रकबा (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सतना	रामनगर	नादो	181/2क	0.019	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सतना (म. प्र.).	अधियारी सागर बांध नहर (कुदरी माइनर) निर्माण हेतु.
			181/2ख	0.025		
			152/4	0.013		
			152/5	0.013		
			191/891/1	0.018		
			191/891/2	0.018		
कुल योग . .				0.106		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. अ-82-17-18-पत्र क्र. 407-भू-अर्जन-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

भूमि का वर्णन					धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) आरा जी नं.	लगभग अर्जित रकबा (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सतना	रामनगर	मेरेटोला	45/2	0.180	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सतना (म. प्र.).	अधियारी सागर बांध योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
कुल योग . .				0.180		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. अ-82-17-18-पत्र क्र. 408-भू-अर्जन-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

भूमि का वर्णन					धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन				
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.)	लगभग						
(1)	(2)	(3)	आराजी नं.	अर्जित रकबा (हे. में.)	(6)	(7)				
सतना	मैहर	जोवा	441/1	0.700	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सतना (म. प्र.).	अधियारी सागर बांध में डूब क्षेत्र हेतु.				
			572	0.481						
			489	0.600						
			481/5	0.200						
			490/2	0.210						
			490/4	0.180						
			490/1	0.160						
			490/3	0.080						
			488/3	0.084						
			482/3	0.200						
			483	0.449						
			482/2	0.200						
			कुल योग . .				3.544			

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. अ-82-17-18-पत्र क्र. 409-भू-अर्जन-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

भूमि का वर्णन					धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.)	लगभग		
(1)	(2)	(3)	आराजी नं.	अर्जित रकबा (हे. में.)	(6)	(7)
सतना	रामनगर	मन्नी	99/2क	0.069	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सतना (म. प्र.).	अधियारी सागर बांध में डूब क्षेत्र हेतु.
			73/2/क	0.041		
			99/2ग	0.069		
			73/2/ग	0.041		
			99/2घ	0.070		
			73/2/घ	0.041		
			99/2ख	0.069		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			73/2/ख	0.041		
			105/2	0.286		
			105/1	0.160		
			105/3	0.286		
			105/4	0.287		
			105/5	0.287		
			105/6	0.287		
			106/1क/2	0.800		
			99/1ग	0.093		
			73/1/1ख	0.020		
			99/1ख	0.092		
			73/1/1क	0.020		
			99/1क	0.092		
			कुल योग . .	3.151		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. अ-82-17-18-पत्र क्र. 410-भू-अर्जन-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

भूमि का वर्णन					अनुसूची	धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.)	लगभग आराजी नं. अर्जित रकबा (हे. में.)	(6)	(7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
सतना	मैहर	हिनौता	319/1	0.200	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सतना (म. प्र.).	अधियारी सागर बांध में डूब क्षेत्र हेतु.	
			317/2/1	0.100			
			319/2/1	0.100			
			317/2/2	0.100			
			319/2/1	0.100			
			कुल योग . .	0.600			

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. अ-82-17-18-पत्र क्र. 411-भू-अर्जन-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध



में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची					धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन		अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग		अर्जित रकबा (हे. में.)		
जिला	तहसील	ग्राम	आराजी नं.		अर्जित रकबा (हे. में.)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
सतना	मैहर	टीकरखुर्द	408/1क/1 408/1क/2	0.300 0.300	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सतना (म. प्र.).	अधियारी सागर बांध में डूब क्षेत्र हेतु.
कुल योग . .				0.600		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मुकेश शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
छिन्दवाड़ा, दिनांक 29 अगस्त 2018

रा. प्र. क्र. 21-अ-82-2017-2018-भू-अर्जन.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा.2-ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची						
भूमि का वर्णन			क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.
जिला	तहसील	नगर/ग्राम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-उभेगांव प.ह.न.-74 ब. न.-19, रा.नि.मं.- छिन्दवाड़ा-3.	शिवराम पिता परसाद किरार, निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	101/2	0.130	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
कुल योग . .					0.130	

(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वेद प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश  
एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग  
ग्वालियर, दिनांक 10 अगस्त 2018

प्र. क्र. 27-अ-82-17-18-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न सूची के खाने (1) से (2) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर  
(ख) तहसील—ग्वालियर  
(ग) ग्राम—उटीला  
(घ) क्षेत्रफल.—0.388 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
496, 498	0.056
497	0.056
513	0.167
499, 500	0.109
योग . .	0.388

- (2) प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर की रशीदपुर डिस्ट्रीब्यूट्री की 1 आर मायनर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लॉन) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 28-अ-82-17-18-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न सूची के खाने (1) से (2) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर  
(ख) तहसील—भितरवार

- (ग) ग्राम—चिटौली  
(घ) क्षेत्रफल.—0.105 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
11/1	0.105
योग . .	0.105

- (2) प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की एम-1 मायनर की सब-मायनर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लॉन) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक वर्मा, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
पन्ना, दिनांक 20 अगस्त 2018

प्र. क्र. 32-अ-82-वर्ष 2017-18.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—पन्ना

(ग) ग्राम—सरकोहा, प.ह.नं. 13		(1)	(2)	(3)	
(घ) क्षेत्रफल—3.560 हेक्टेयर.		73/22	0.010	निजी भूमि	
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार			
(1)	(2)	(3)			
11	0.710	निजी भूमि	73/26	0.010	निजी भूमि
64/1	0.010	निजी भूमि	73/27	0.010	निजी भूमि
75/69/1	0.041	निजी भूमि	73/28	0.010	निजी भूमि
64/2	0.005	निजी भूमि	73/29	0.010	निजी भूमि
64/3	0.005	निजी भूमि	73/30	0.010	निजी भूमि
64/4	0.005	निजी भूमि	73/31	0.010	निजी भूमि
64/5	0.005	निजी भूमि	73/32	0.010	निजी भूमि
64/6	0.005	निजी भूमि	73/33	0.010	निजी भूमि
64/7	0.010	निजी भूमि	73/34	0.010	निजी भूमि
64/8	0.005	निजी भूमि	73/35	0.010	निजी भूमि
64/9	0.010	निजी भूमि	73/36	0.010	निजी भूमि
64/10	0.005	निजी भूमि	73/37	0.010	निजी भूमि
64/11	0.005	निजी भूमि	73/38	0.010	निजी भूमि
65/2	0.140	निजी भूमि	73/39	0.010	निजी भूमि
74/2	0.460	निजी भूमि	73/40	0.010	निजी भूमि
73/1/क	0.110	निजी भूमि	73/41	0.010	निजी भूमि
67/2	1.050	निजी भूमि	73/42	0.010	निजी भूमि
73/2	0.010	निजी भूमि	73/43	0.010	निजी भूमि
73/3	0.010	निजी भूमि	73/44	0.010	निजी भूमि
73/4	0.010	निजी भूमि	73/45	0.010	निजी भूमि
73/5	0.010	निजी भूमि	73/46	0.010	निजी भूमि
73/6	0.010	निजी भूमि	75/1	0.009	निजी भूमि
73/7	0.010	निजी भूमि	75/2	0.010	निजी भूमि
73/8	0.010	निजी भूमि	75/3	0.005	निजी भूमि
73/9	0.010	निजी भूमि	75/4	0.005	निजी भूमि
73/10	0.010	निजी भूमि	75/5	0.005	निजी भूमि
73/11	0.010	निजी भूमि	75/6	0.005	निजी भूमि
73/12	0.010	निजी भूमि	75/7	0.005	निजी भूमि
73/13	0.010	निजी भूमि	75/8	0.005	निजी भूमि
73/14	0.010	निजी भूमि	75/9	0.005	निजी भूमि
73/15	0.010	निजी भूमि	75/10	0.005	निजी भूमि
73/16	0.010	निजी भूमि	75/11	0.005	निजी भूमि
73/17	0.010	निजी भूमि	75/12	0.005	निजी भूमि
73/18	0.010	निजी भूमि	75/13	0.005	निजी भूमि
73/19	0.010	निजी भूमि	75/14	0.005	निजी भूमि
73/20	0.010	निजी भूमि	75/15	0.005	निजी भूमि
73/21	0.010	निजी भूमि	75/16	0.005	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
75/17	0.005	निजी भूमि	75/58	0.004	निजी भूमि
75/18	0.005	निजी भूमि	75/59	0.005	निजी भूमि
75/19	0.005	निजी भूमि	75/60	0.005	निजी भूमि
75/20	0.010	निजी भूमि	75/61	0.005	निजी भूमि
75/21	0.005	निजी भूमि	75/62	0.005	निजी भूमि
75/22	0.005	निजी भूमि	75/63	0.004	निजी भूमि
75/23	0.005	निजी भूमि	75/64	0.004	निजी भूमि
75/24	0.010	निजी भूमि	75/65	0.004	निजी भूमि
75/25	0.005	निजी भूमि	75/66	0.005	निजी भूमि
75/26	0.005	निजी भूमि	75/67	0.004	निजी भूमि
75/27	0.005	निजी भूमि	75/68	0.005	निजी भूमि
75/28	0.005	निजी भूमि	75/69/2	0.005	निजी भूमि
75/29	0.005	निजी भूमि	75/69/3	0.005	निजी भूमि
75/30	0.005	निजी भूमि	75/69/4	0.005	निजी भूमि
75/31	0.005	निजी भूमि	75/69/5	0.005	निजी भूमि
75/32	0.005	निजी भूमि	75/69/6	0.005	निजी भूमि
75/33	0.005	निजी भूमि	75/69/7	0.005	निजी भूमि
75/34	0.005	निजी भूमि	75/69/8	0.005	निजी भूमि
75/35	0.005	निजी भूमि	75/69/9	0.005	निजी भूमि
75/36	0.005	निजी भूमि	75/69/10	0.005	निजी भूमि
75/37	0.005	निजी भूमि	75/69/11	0.005	निजी भूमि
75/38	0.005	निजी भूमि	77	0.130	निजी भूमि
75/39	0.005	निजी भूमि			
75/40	0.005	निजी भूमि			
75/41	0.005	निजी भूमि			
75/42	0.005	निजी भूमि			
75/43	0.005	निजी भूमि			
75/44	0.005	निजी भूमि			
75/45	0.005	निजी भूमि			
75/46	0.005	निजी भूमि			
75/47	0.005	निजी भूमि			
75/48	0.005	निजी भूमि			
75/49	0.005	निजी भूमि			
75/50	0.005	निजी भूमि			
75/51	0.005	निजी भूमि			
75/52	0.005	निजी भूमि			
75/53	0.005	निजी भूमि			
75/54	0.004	निजी भूमि			
75/55	0.003	निजी भूमि			
75/56	0.004	निजी भूमि			
75/57	0.004	निजी भूमि			

योग . . 3.560

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.— ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनोज खत्री, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 27 अगस्त 2018

क्र. 422-भू-अर्जन-2018.— चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013,

संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/ निजी खाता)

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—मैहर  
(ग) नगर/ग्राम—धुनवारा  
(घ) क्षेत्रफल—0.314 हेक्टर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
23	0.314
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	0.314

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी प्राधिकरण अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मुकेश शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 28 अगस्त 2018

प्र. क्र. 1345-रीडर-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु भूमि की आवश्यकता है:-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—कुक्षी  
(ग) ग्राम—ननोदा  
(घ) क्षेत्रफल—0.075 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जन का क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
198	0.035
200	0.040
योग . .	0.075

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—औंकारेश्वर परियोजना नहर चरण-3 की वितरण शाखा डी.व्हाय-19 की एम.आर.-4 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे का अवलोकन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस उद्घोषणा में वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में संबंधित व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, कुक्षी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंडला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंडला, दिनांक 28 अगस्त 2018

क्र.-भू-अर्जन-11-(अ-82)-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मंडला  
(ख) तहसील—बिछिया  
(ग) ग्राम—दानीटोला (मटावल) प.ह.नं. 34  
(घ) क्षेत्रफल—11.30 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1599/4	0.09
1599/9	0.14
1596	0.06
1601/1	0.03
1601/2	0.02
1600	0.03

(1)	(2)	(1)	(2)
1447	0.23	1838/1	0.04
1449/3	0.02	1838/2	0.10
1446/1	0.06	1085/3	0.07
1432/2	0.10	1076	0.11
1448	0.26	1077/2	0.02
1444	0.01	1078/1	0.12
	योग . . 1.05	1078/2	0.08
1799	0.02	1079/1	0.04
1798	0.05	1012/1	0.04
1797	0.05	1012/2	0.06
1800/2	0.03	1014	0.02
1800/3	0.05	1011/2	0.01
1800/4	0.04	1011/3	0.03
1792/2	0.03	1013/1	0.05
1792/3	0.15	1013/2	0.01
1792/4	0.03	1004/2	0.05
1792/6	0.12	1004/3	0.06
1792/7	0.12	1004/4	0.07
1788	0.02	1003/2	0.01
1787/1	0.06	833	0.08
1787/3	0.06	847	0.17
1787/5	0.06	832/1, 832/2	0.16
1787/6	0.06	849	0.01
1787/12	0.06	851	0.02
1787/14	0.06	850	0.09
1826	0.15	859	0.07
1827/1	0.03	858	0.08
1851/1	0.01	856/2	0.01
1851/2	0.08	857/2	0.09
1829	0.13	869	0.06
1850/1	0.04	868	0.03
1830/1		866/1	0.06
1830/2	0.11	545/2	0.06
1830/3		545/3	0.04
1830/4		544/2	0.04
1848/1	0.01	543	0.09
1837	0.09	542	0.11
1847	0.03	541/2	0.23
1839/1	0.05	513/2	0.02
1839/2	0.05	512/1	0.20
1839/3	0.05	512/2	0.06
1839/4	0.05		

(1)	(2)	(1)	(2)
511/1	0.07	1351	0.07
511/2	0.07	1280	0.02
511/3	0.07	1308/1	0.10
511/4	0.07	1308/2	0.04
510/3	0.01	1307/1	0.08
481	0.36	1307/2	0.02
480	0.01	1306	0.05
486	0.02	1294	0.08
	<u>योग . . 5.40</u>	1295	0.03
		1296	0.07
1681/3	0.21	1303/1	0.04
1681/5	0.03	1311/1	0.03
1681/9	0.03	1311/2	0.06
1681/10	0.03	1311/3	0.08
1681/11	0.03	1312/2	0.14
1683/4	0.04	1315/1	0.07
1608/1	0.06	1317	0.04
1608/2	0.01	1314	0.20
1605	0.01	1164	0.16
1582/1	0.04	1163/1	0.01
1582/2	0.08	1166	0.02
1582/3	0.04	300	0.24
1582/4	0.04	299/1	0.04
1579	0.03	296	0.18
1578/1	0.08	295/1	0.02
1578/2	0.04	295/2	0.02
	<u>योग . . 0.80</u>	114	0.07
1252	0.01	294/1	0.04
1411	0.28	288/3	0.13
1412	0.02	289/1	0.03
1390	0.03	285	0.15
1388/2	0.15	270/1	0.08
1269	0.03	247/1	0.06
1387	0.06	247/4	0.02
1384	0.31	249/1	0.03
1385/3	0.03	249/2	0.03
1386/1	0.01	249/3	0.03
1386/2	0.01	249/6	0.03
1274/1	0.05	250/1	0.08
1274/5	0.01	255/1	0.01
1274/7	0.03	255/2	0.01
1277	0.09	251/1	0.09
1278	0.02		
1279	0.10		
1352	0.01		
			<u>योग . . 4.05</u>
			<u>महायोग . . 11.30</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—हालोलन सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर एवं उप नहर निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिछिया या कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-2, मंडला में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-13-(अ-82)-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मंडला  
(ख) तहसील—बिछिया  
(ग) ग्राम—गुडली  
(घ) क्षेत्रफल—0.07 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
140	0.07
योग	0.07

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—हालोलन सिंचाई परियोजना बांई तट अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-2, मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनय द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 1 सितम्बर 2018

क्र. 8137-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
(ख) तहसील—चांद  
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-पचगांव, प.ह.नं.-37, ब. नं.-154, रा.नि.मं.-चांद.  
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—02.750 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
157/3, 157/19, 158/4	0.180
157/5, 157/7, 157/8,	0.050
158/1-2-3, 159/4	
157/22, 158/5, 159/7	0.120
163/2, 174/1	0.188
163/1, 164/2, 175/1,	0.250
175/4, 166	
162/5, 163/6	0.094
304/10	0.104
300	0.064
298/5	0.020
298/7	0.041



(1)	(2)
419/3, 419/4	0.288
298/6	0.038
445/2, 446/4, 447/4	0.070
445/8, 446/3, 447/3	0.096
449/1	0.148
312/3	0.014
312/4	0.030
312/1	0.048
310/2, 311/1, 312/2	0.039
310/4	0.056
370/2, 371/4	0.041
371/3, 372/1, 373/1-2-3	0.054
374/1-2	
375/1, 376/3	0.050
377/2	0.136
377/5	0.100
378/6, 380/1	0.120
377/3	0.096
385/11	0.013
385/10	0.013
385/8	0.013
385/12	0.013
385/13	0.013
506/5	0.150

योग . . . 02.750 हेक्टर एवं  
प्रस्तावित  
क्षेत्रफल पर  
आने वाली  
संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता

है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत खैरघाट उपवितरक नहर की माइनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02, छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 8143-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चांद

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-लोनीखुर्द, प.ह.नं.-21, ब. नं.-262, रा.नि.मं.-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—02.320 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(1)	(2)	(1)	(2)
प्रस्तावित	प्रस्तावित क्षेत्रफल	114, 115, 122/1	0.168
खसरा नम्बर	(हे. में)	3/1	0.104
(1)	(2)	3/2	0.175
343/6	0.014		
341/2, 339/2	0.130		योग . . 02.320 हेक्टर एवं
338/2	0.078		प्रस्तावित
338/3, 339/3	0.033		क्षेत्रफल पर
338/1, 339/1	0.048		आने वाली
330/4	0.005	(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक	संपत्तियां.
325/1	0.090	प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता	
325/2	0.086	है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना की नांदना वितरक	
325/6	0.050	नहर की खैरघाट उपवितरक नहर की 4 आर एवं 13 आर	
295/4, 295/6	0.115	माइनर की 4 एल, 6 एल सब माइनर नहर निर्माण हेतु	
293/2, 294/2	0.057	निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.	
293/11	0.083	(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे	
293/8	0.043	में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी	
287/1	0.070	वेबसाइट <a href="http://www.chhindwara.nic.in">http://www.chhindwara.nic.in</a> एवं म. प्र.	
284/1, 285	0.112	शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <a href="http://www.mprevenue.nic.in">http://www.mprevenue.nic.in</a> पर भी देखा जा सकता है.	
283/5	0.070	(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का	
283/1	0.100	नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-	
48/2	0.082	चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय	
48/3	0.073	पर किया जा सकता है.	
48/1	0.070	(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे	
48/4	0.078	(प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन	
89/1	0.060	परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला	
89/2	0.047	छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा	
89/3, 91/2	0.064	सकता है.	
89/5, 91/3	0.080	(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा	
91/1	0.041	(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी,	
113	0.094	पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02,	
		छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन	
		समय पर किया जा सकता है.	

छिन्दवाड़ा, दिनांक 10 सितम्बर 2018

क्र. 8305-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन,

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
 (ख) तहसील—चांद  
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम—बांकानागनपुर, प.ह.नं.-22, ब. नं.-195, रा.नि.मं.-चांद.  
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—05.927 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)	(1)	(2)
(1)	(2)	110/1क, 112/1ड	0.006
30/3, 47/6	0.048	220/1, 200, 201/1	0.012
30/4	0.102	220/2, 201/2, 202	0.210
31/2	0.352	197/5	0.079
47/2	0.105	199/3, 197/4क	0.079
47/3	0.018	137/5/1, 199/2/1	0.088
46/4क, 88/2क	0.038	198/2	0.020
46/5	0.080	146, 147/1, 196	0.128
83/7, 84/5	0.030	191/6, 197/3क, 199/1	0.020
83/4	0.030	145/3-4	0.185
84/4	0.038	145/6	0.016
84/6	0.020	145/2	0.038
84/1-2-3	0.050	145/5	0.019
85/2	0.006	145/1	0.038
80/3, 82/3	0.160	130	0.028
69/3	0.038	131	0.032
69/8	0.038	132	0.036
69/2	0.038	134/1-2, 128/1-2	0.033
69/5	0.040	126/2	0.033
69/1	0.038	126/1	0.036
69/4	0.038	503/3, 521/2-4	0.210
79/2	0.023	504	0.032
79/1	0.025	520	0.145
76/3, 77/2	0.138	522/1	0.065
75	0.035	522/2, 523/2	0.145
110/7, 112/7	0.006	549/1ग, 543/2	0.146
		543/1, 543/2, 543/3	0.280
		542	0.060
		541	0.016
		540	0.096
		539	0.064
		536/4	0.048
		537/2	0.020
		536/2	0.078
		537/1	0.090
		770/1, 768/1	0.032
		770/2, 768/2	0.032
		767	0.022
		766/1-3	0.032
		763	0.058

(1)	(2)	परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
761	0.176	
760	0.020	
759	0.016	(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01, चौरई, छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
757/3	0.080	
503/3, 521/2, 521/4	0.016	
500/2	0.090	
495/2	0.065	क्र. 8303-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—
495/1	0.102	
490/2, 490/18,	0.108	
491, 497/1		
490/6	0.128	
490/3	0.016	
490/4	0.008	
490/5	0.016	
490/1	0.174	
261/1	0.080	
261/2, 262	0.115	
268/2	0.008	
268/1	0.004	
244/9	0.168	
243/1, 244/1	0.100	
228/2, 230/1, 231/2	0.096	
योग . . .	05.927	हेक्टर एवं
		प्रस्तावित
		क्षेत्रफल पर
		आने वाली
		संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली 1 एल माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.		
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <a href="http://www.chhindwara.nic.in">http://www.chhindwara.nic.in</a> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <a href="http://www.mprevenue.nic.in">http://www.mprevenue.nic.in</a> पर भी देखा जा सकता है.		
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.		
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन		
		अनुसूची
		(1) भूमि का वर्णन—
		(क) जिला—छिन्दवाड़ा
		(ख) तहसील—चांद
		(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-कोंढरखापा, प.ह.नं.-32, ब. नं.-34, रा.नि.मं.-चांद.
		(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.685 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
		प्रस्तावित
		खसरा नम्बर
		(1)
		88/1-2
		87/4-5
		87/2-3
		87/1
		78/1
		78/2
		79/1/2, 79/2/2,
		79/3/2, 79/4/2
		79/1/1, 79/2/1,
		79/3/1, 79/4/1
		42/1, 43/3, 80
		प्रस्तावित रकबा
		(हे. में)
		(2)
		0.103
		0.030
		0.052
		0.030
		0.067
		0.067
		0.128
		0.128
		0.080
		योग . . .
		0.685
		हेक्टर एवं
		प्रस्तावित
		क्षेत्रफल पर
		आने वाली
		संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर से निकलने वाली 13 एल माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.	(1) 405, 406, 407 389/7 401/6	(2) 0.140 0.020 0.032
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <a href="http://www.chhindwara.nic.in">http://www.chhindwara.nic.in</a> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <a href="http://www.mprevenue.nic.in">http://www.mprevenue.nic.in</a> पर भी देखा जा सकता है.	389/4, 401/5 393/2 399 398	0.010 0.080 0.202 0.015
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	400 358/1 393/1, 394	0.010 0.430 0.260
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	392, 391, 390 283, 358/2-4 308 309	0.018 0.350 0.098 0.105
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01, चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	307 311, 312/1 312/2 319/4, 319/10-11 214/1	0.044 0.178 0.120 0.100 0.280
क्र. 8304-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	214/2 22/1 22/2 21 20 19	0.098 0.210 0.180 0.110 0.130 0.098
<b>अनुसूची</b>		
(1) भूमि का वर्णन—		
(क) जिला—छिन्दवाड़ा	29/1, 27/2, 28/1	0.075
(ख) तहसील—चांद	29/2, 27/3, 28/2	0.070
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-नीलकंठीकला, प.ह.नं.-48, ब. नं.-151, रा.नि.मं.-चांद.	31 34/3	0.070 0.200
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—05.757 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियों.	35, 37 118/1 118/5, 117	0.440 0.115 0.160
प्रस्तावित	प्रस्तावित रकबा	
खसरा नम्बर	(हे. में)	
(1)	(2)	
403	0.025	120/6, 121/15 120/3, 121/10 120/8, 121/17 121/8, 122/1 121/30, 122/2
404	0.010	0.205 0.310 0.018 0.072 0.072
402	0.022	

(1)	(2)	(ग)	प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
121/3	0.160	नगर/ग्राम—ग्राम-परसगांवसर्ग, प.ह.नं.-32, ब. नं.- 268, रा.नि.मं.-चांद., तहसील-चांद.	(1)	(2)
121/5	0.110	(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—02.054 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.	96/1	0.060
121/6	0.123		96/2	0.060
121/4/1	0.012		96/5	0.062
योग . .	05.757 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.		92/1	0.048
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.		47/1	0.030
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <a href="http://www.chhindwara.nic.in">http://www.chhindwara.nic.in</a> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <a href="http://www.mprevenue.nic.in">http://www.mprevenue.nic.in</a> पर भी देखा जा सकता है.		92/2	0.044
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.		69/2	0.038
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.		71/4	0.048
(6)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01, चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.		60/1, 60/2, 63/3	0.050
क्र. 8302-भू-अर्जन-2018.—	चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		69/1	0.038
			68/3	0.033
			68/8	0.026
			68/4	0.026
			68/1	0.046
			321/8	0.096
			222/1	0.026
			222/4	0.026
			222/2	0.046
			222/3	0.064
			216/7	0.080
			216/6	0.016
			216/5	0.020
			215/1, 216/1	0.046
			215/3, 216/3	0.038
			215/2, 216/2	0.045
			212/1	0.026
			212/3	0.026
			211/1	0.010
			211/3	0.022
			212/2	0.020
			226/2, 225/2	0.039
			235/5, 234/5	0.038

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चांद

(1)	(2)
236/1	0.030
239/6-8	0.070
239/3, 239/11/2	0.080
239/4	0.080
241/2	0.030
282/1-5	0.052
242/1-4	0.030
243/1	0.030
243/2	0.032
244/1	0.065
245/1-2	0.065
281/8, 281/10	0.005
281/3, 281/6, 281/7	0.047
281/4	0.025
281/1	0.048
281/5	0.020
283/2	0.052

योग . . . 02.054 हेक्टेयर एवं  
प्रस्तावित  
क्षेत्रफल पर  
आने वाली  
संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर से निकलने वाली 11 एल एवं 12 एल माईनर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01, चौरई,

जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 7 सितम्बर 2018

क्र. 8258-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
(ख) तहसील—चांद  
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-निशानजानोजी, प.ह.नं.-49, ब. नं.-150, रा.नि.मं.-चांद.  
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—कुल रकबा—02.618 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
18/2	0.120
18/1, 23/1	0.416
28/1	0.448
29, 26	0.260
8/10	0.030
38/1, 53/1	0.120
35/4, 42/4, 43/9	0.010
36/4, 37/4	0.020
39/2	0.056
36/2, 37/2	0.080
40/1	0.040
40/2	0.061
41, 43/1, 35/1, 42/1	0.139
43/2	0.144
43/4	0.070
45/2	0.040
43/5	0.040
43/3	0.060
45/1	0.220
48	0.080

(1)	(2)	(ग)	प्रस्तावित	प्रस्तावित रकबा
46/2, 47, 192/2	0.064	नगर/ग्राम—ग्राम-बम्हनीतुरा, प.ह.नं.-32,	खसरा नम्बर	(हे. में)
46/1, 192/1	0.100	ब. नं.-112, रा.नि.मं.-चांद.	(1)	(2)
योग . .	02.618 हेक्टर एवं	(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—कुल		
	प्रस्तावित	रकबा—03.485 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर		
	क्षेत्रफल पर	आने वाली संपत्तियाँ.		
	आने वाली			
	संपत्तियाँ.			
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.			43/5	0.140
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <a href="http://www.chhindwara.nic.in">http://www.chhindwara.nic.in</a> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <a href="http://www.mprevenue.nic.in">http://www.mprevenue.nic.in</a> पर भी देखा जा सकता है.			44/2	0.096
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.			44/1	0.080
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.			44/3	0.280
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01, चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.			52/3	0.040
			52/2-7-8	0.080
			52/1, 155	0.296
			127/2, 154/2, 154/3	0.298
			53/1, 53/3, 53/4	0.040
			152/4	0.088
			152/2-3	0.136
			152/6, 153	0.040
			152/10	0.160
			152/11	0.070
			152/7	0.144
			152/1, 155	0.020
			61/11	0.112
			151/2	0.112
			61/12	0.022
			66/4	0.080
			151/10-11	0.060
			151/7	0.160
			61/3, 61/20	0.176
			69/7	0.012
			66/5	0.056
			66/2	0.020
			65, 66/9	0.025
			66/10	0.200
			60/1	0.060
			60/2	0.058
			59/2	0.112

क्र. 8259-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
(ख) तहसील—चांद



(1)	(2)
58/2	0.052
58/1	0.048
57/2	0.112

योग . . . 03.485 हेक्टर एवं  
प्रस्तावित  
क्षेत्रफल पर  
आने वाली  
संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर से निकलने वाली 13 एल माईनर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01, चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चांद

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-खापाबिहारी, प.ह.नं.-31, ब. नं.-44, रा.नि.मं.-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल कुल रकबा—02.524 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
58/1-2	0.050
56	0.015
65/1, 65/3	0.110
58/3-4, 57/2	0.288
63/3	0.032
64/4, 140/1	0.048
115, 116/1-4	0.128
140/3, 141, 142	0.192
145/2, 146	0.112
63/4, 64/3, 64/5	0.032
140/2	0.070
177/1, 180	0.100
183/2	0.025
137/2	0.116
128, 129, 130, 131,	0.130
132, 133, 134, 135,	
136, 137/1, 148/2,	
149/2, 162	
116/3, 116/10, 122, 123	0.096
120/6	0.264
93/11	0.040

क्र. 8255-भू-अर्जन-2018.—चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन,

(1)	(2)
120/8	0.114
121/1	0.100
121/2	0.128
121/3	0.128
121/4	0.106
121/5	0.080
161	0.020

योग . . . 02.524 हेक्टर एवं

प्रस्तावित  
क्षेत्रफल पर  
आने वाली  
संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर से निकलने वाली 20 एल माईनर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01, चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 8260-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चांद

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-नौलाझिर, प.ह.नं.-27,  
ब. नं.-146, रा.नि.मं.-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल कुल रकबा—03.107 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
182/8, 183/4	0.240
182/3	0.110
182/4, 183/1	0.165
56, 57	0.188
182/1	0.145
182/5, 197/2	0.030
197/1-2, 198/2, 199/1-2	0.160
201/6	0.050
200/2	0.240
200/1	0.135
205	0.130
82, 83	0.168
72/1	0.270
69/1	0.076
69/3, 70/2	0.160
69/4, 70/3	0.430
61/3	0.150

(1)	(2)
55/1	0.230
61/2	0.030

योग . . . 03.107 हेक्टर एवं  
प्रस्तावित  
क्षेत्रफल पर  
आने वाली  
संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01, चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 8256-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चांद

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-घोघरी हरहर, प.ह.नं.-33, ब. नं.-74, रा.नि.मं.-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल कुल रकबा—0.974 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
104/1, 104/3, 604/2	0.243
103	0.224
100/1	0.122
96/1	0.385

योग . . . 0.974 हेक्टर एवं  
प्रस्तावित  
क्षेत्रफल पर  
आने वाली  
संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	(1) 68/1, 67/1 82, 66, 81/1 65 63/1, 64 63/2 63/3	(2) 0.400 0.038 0.025 0.200 0.060 0.020
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01, चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.		योग . . . 01.620 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

क्र. 8257-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
(ख) तहसील—चांद  
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-नीलकंठीखुर्द, प.ह.नं.-33, ब. नं.-152, रा.नि.मं.-चांद.  
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल कुल रकबा—01.620 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
45/1	0.040
47/1	0.016
45/3	0.065
45/2	0.080
46/1	0.044
46/2	0.045
56/1	0.182
58/1	0.370
57/1	0.035

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.  
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.  
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.  
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.  
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01, चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 8254-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन,

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013'' की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
(ख) तहसील—चांद  
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम—मुडियाखेड़ा, प.ह.नं.-32,  
ब. नं.-230, रा.नि.मं.-चांद.  
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल कुल  
रकबा—03.931 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर  
आने वाली संपत्तियाँ.

(1)	(2)
180/1, 180/3	0.215
177/4	0.020
180/8-9	0.005
178, 179	0.020
91/4	0.029
91/8	0.056
93/1-4-6	0.150
93/3	0.056
93/2	0.052
171/2-3	0.080
170, 171/1	0.038
योग . .	<u>03.931</u> हेक्टेयर एवं

प्रस्तावित  
क्षेत्रफल पर  
आने वाली  
संपत्तियाँ.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
67/1, 67/2, 68/1, 68/2, 69/1, 69/2	0.688
29/2, 54/1, 65/1, 56/2, 55/1, 64/1	0.300
29/4, 54/19, 55/4, 56/4, 64/6, 65/3	0.080
54/6, 81/1	0.040
54/10, 64/4	0.190
39/1, 54/12	0.300
100/2	0.200
126, 100/1	0.080
85/5-6, 86/1, 87/1	0.120
185/5	0.100
98/4-6-7	0.020
91/7	0.100
185/9	0.020
180/12	0.040
185/1, 91/2	0.299
91/1	0.070
185/4	0.016
73/3	0.120
105	0.028
91/5	0.080
180/11	0.025
91/3	0.130
182, 184, 185/8	0.016
180/4	0.148

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अन्तर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निलकने वाली 14 एल माईनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01, चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वेद प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,  
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 7 सितम्बर 2018

पत्र क्र. 1541-भू-अर्जन-प्रकाशन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—रघुराजनगर  
(ग) ग्राम—तुरी  
(घ) क्षेत्रफल—2.097 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि (2)	शासकीय भूमि (3)
214	0.013	-
215	0.067	-
216	0.013	-
217	0.339	-
227	0.339	-
228	0.557	-
229	0.202	-
230	0.013	-
232	0.016	-
258	0.339	-
261	0.205	-
263	0.013	-
264	0.192	-

कुल योग . . 2.097

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “मझगवां शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1543-भू-अर्जन-प्रकाशन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—रघुराजपुर  
(ग) ग्राम—पोईधा कला  
(घ) क्षेत्रफल—5.053 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि (2)	शासकीय भूमि (3)
166	0.197	-
167	0.106	-
169	0.250	-
178	0.144	-
170	0.014	-
233	0.090	-
272	0.125	-
273	0.009	-
262	0.870	-
268	0.168	-
269	0.030	-
283	0.120	-
296	0.128	-
297	0.168	-
298	0.468	-
299	0.132	-
300	0.948	-
303/14	0.168	-
306	0.144	-
307	0.570	-
308	0.204	-
कुल योग . .	5.053	-

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “मझगवां शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1545-भू-अर्जन-प्रकाशन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—रघुराजनगर  
(ग) ग्राम—अकौना  
(घ) क्षेत्रफल—1.436 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि (2)	शासकीय भूमि (3)
189	0.160	-
196	0.090	-
199	0.038	-
200	0.180	-
201	0.004	-
204	0.074	-
205	0.080	-
330	0.056	-
331	0.030	-
332	0.124	-
333	0.074	-
334	0.048	-
339	0.012	-
340	0.180	-
341	0.064	-
342	0.066	-
343	0.066	-
344	0.060	-
410	0.030	-
कुल योग . .	1.436	-

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “मझगवां शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1547-भू-अर्जन-प्रकाशन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—रघुराजनगर  
(ग) ग्राम—बरा खुर्द  
(घ) क्षेत्रफल—3.228 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि (2)	शासकीय भूमि (3)
230	0.050	-
249	0.068	-
250	0.108	-
251	0.314	-
253	0.056	-
254	0.032	-
256	0.054	-
258	0.174	-
262	0.075	-
263	0.328	-
265	0.280	-
266	0.140	-
267	0.008	-
280	0.515	-
281	0.112	-
282	0.048	-
283	0.112	-
284	0.392	-
285	0.240	-
290	0.006	-
291	0.112	-
278	0.004	-
कुल योग . .	3.228	-

- |                                                                                                                                                                           |             |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|
| (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "मझगवां शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु. | (1)         | (2)   | (3)   |
|                                                                                                                                                                           | 324         | 0.019 | -     |
|                                                                                                                                                                           | 325         | 0.160 | -     |
|                                                                                                                                                                           | 327         | 0.166 | -     |
| (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.                                            | 357         | 0.016 | -     |
|                                                                                                                                                                           | 363         | 0.082 | -     |
|                                                                                                                                                                           | 364         | 0.070 | -     |
|                                                                                                                                                                           | 365         | 0.010 | -     |
|                                                                                                                                                                           | 367         | 0.101 | -     |
|                                                                                                                                                                           | 147         | 0.032 | -     |
|                                                                                                                                                                           | 148         | 0.062 | -     |
|                                                                                                                                                                           | 149         | 0.072 | -     |
|                                                                                                                                                                           | 150         | 0.082 | -     |
|                                                                                                                                                                           | 160         | 0.030 | -     |
|                                                                                                                                                                           | 161         | 0.286 | -     |
|                                                                                                                                                                           | 163         | 0.042 | -     |
|                                                                                                                                                                           | 164         | 0.160 | -     |
|                                                                                                                                                                           | 165         | 0.013 | -     |
|                                                                                                                                                                           | 197         | 0.026 | -     |
|                                                                                                                                                                           | 187         | 0.042 | -     |
|                                                                                                                                                                           | 198         | 0.011 | -     |
|                                                                                                                                                                           | 201         | 0.029 | -     |
|                                                                                                                                                                           | 208         | 0.043 | -     |
|                                                                                                                                                                           | 199         | 0.042 | -     |
|                                                                                                                                                                           | कुल योग . . |       | 3.757 |

पत्र क्र. 1549-भू-अर्जन-प्रकाशन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—रघुराजनगर  
(ग) ग्राम—पासी  
(घ) क्षेत्रफल—3.757 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
16	0.012	-
17	0.139	-
18	0.074	-
42	0.163	-
31	0.109	-
39	0.115	-
40	0.179	-
43	0.210	-
46	0.024	-
47	0.131	-
51	0.043	-
52	0.070	-
54	0.065	-
55	0.058	-
58	0.014	-
59	0.557	-
321	0.112	-
322	0.006	-
323	0.080	-

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "मझगवां शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1551-भू-अर्जन-प्रकाशन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—रघुराजनगर



(ग) ग्राम—मझगवां	(1)	(2)	(3)
(घ) क्षेत्रफल—1.187 हेक्टेयर.	2511	0.020	-
खसरा	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
	2512	0.184	-
नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि	
(1)	(2)	(3)	
38	0.102	-	-
39	0.020	-	-
46	0.115	-	-
47	0.051	-	-
49	0.160	-	-
50	0.179	-	-
51	0.019	-	-
85	0.243	-	-
86	0.128	-	-
87	0.256	-	-
88	0.016	-	-
कुल योग . .	1.187		
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "मझगवां शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	2599	0.072	-
	2970	0.078	-
	2971	0.110	-
	2972	0.027	-
	2973	0.072	-
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	2974	0.045	-
	2975	0.042	-
	2966	0.026	-
	2981	0.096	-
पत्र क्र. 1553-भू-अर्जन-प्रकाशन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—	2982	0.252	-
	2983	0.012	-
	2988	0.252	-
	2989	0.018	-
	2990	0.348	-
	2992	0.276	-
	3103	0.038	-
अनुसूची	3128	0.054	-
(1) भूमि का वर्णन—	3129	0.048	-
(क) जिला—सतना	3132	0.180	-
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर	3133	0.110	-
(ग) ग्राम—नयागांव	3138	0.060	-
(घ) क्षेत्रफल—8.400 हेक्टेयर.	3141	0.204	-
खसरा	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
	3142	0.240	-
	3145	0.156	-
नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि	
(1)	(2)	(3)	
2503	0.006	-	-
2509	0.258	-	-
2510	0.150	-	-
	3157	0.150	-
	3159	0.086	-
	3187	0.134	-
	3191	0.156	-

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
3192	0.156	-	34	0.288	-
3193	0.180	-	46	0.065	-
3194	0.162	-	48	0.192	-
3195	0.016	-	49	0.077	-
3196	0.192	-	49/412	0.019	-
3198	0.012	-	51	0.120	-
3200	0.446	-	66	0.082	-
3597	0.088	-	67	0.283	-
3598	0.154	-	69	0.192	-
3599	0.288	-	70	0.067	-
3603	0.116	-	71	0.115	-
3607	0.431	-	72	0.082	-
3608	0.576	-	73	0.144	-
3614	0.100	-	75	0.110	-
3127	0.106	-	90	0.701	-
कुल योग . .	8.400		91	0.173	-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “मझगवां शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1555-भू-अर्जन-प्रकाशन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर  
(ग) ग्राम—सुजावल कला  
(घ) क्षेत्रफल—5.990 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
नम्बर	(2)	(3)
(1)		
23	0.058	-
30	0.022	-
31	0.182	-
32	0.019	-

96	0.073	-
97	0.062	-
98	0.012	-
145	0.582	-
147	0.408	-
158	0.871	-
159	0.269	-
160	0.048	-
162	0.084	-
167	0.055	-
170	0.032	-
171	0.022	-
179	0.151	-
95	0.230	-
कुल योग . .	5.990	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “मझगवां शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1557-भू-अर्जन-प्रकाशन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा

घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

			(1)	(2)	(3)
अनुसूची			216	0.240	-
(1) भूमि का वर्णन:—			217	0.012	-
(क) जिला—सतना			891	0.058	-
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर			893	0.072	-
(ग) ग्राम—सलैया			895	0.101	-
(घ) क्षेत्रफल—4.495 हेक्टेयर.			892	0.064	-
खसरा	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		201	0.050	-
नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि	209	0.024	-
(1)	(2)	(3)	कुल योग . .	4.495	-
14	0.002	-	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "मझगावां शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		
15	0.432	-	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		
16	0.029	-	पत्र क्र. 1559-भू-अर्जन-प्रकाशन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—		
17	0.245	-	अनुसूची		
18	0.029	-	(1) भूमि का वर्णन:—		
19	0.360	-	(क) जिला—सतना		
68	0.080	-	(ख) तहसील—बिरसिंहपुर		
70	0.216	-	(ग) ग्राम—सुजावल खुर्द		
71	0.216	-	(घ) क्षेत्रफल—1.762 हेक्टेयर.		
72	0.150	-	खसरा	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
73	0.029	-	नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि
94	0.072	-	(1)	(2)	(3)
95	0.149	-	92	0.002	-
96	0.275	-	101	0.230	-
97	0.035	-	102	0.004	-
98	0.124	-	103	0.010	-
99	0.065	-	128	0.102	-
100	0.133	-	129	0.064	-
101	0.112	-	130	0.145	-
116	0.017	-			
117	0.090	-			
197	0.432	-			
198	0.056	-			
199	0.016	-			
200	0.115	-			
202	0.098	-			
203	0.144	-			
204	0.032	-			
205	0.101	-			
295	0.020	-			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
131	0.073	-	991/5/2	0.065
132	0.004	-	1001	0.054
133	0.086	-	1131/1	0.011
145	0.051	-	योग .	1.133
146	0.002	-		
147	0.354	-		
148	0.010	-		
159	0.032	-		
160	0.020	-		
161	0.035	-		
162	0.224	-		
163	0.010	-		
164	0.270	-		
153	0.034	-		
कुल योग . .	1.762			

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “मझगवां शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1561-प्रकाशन-भू-अर्जन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—रामनगर  
(ग) ग्राम—हिनौती  
(घ) क्षेत्रफल—1.133 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
25/2/2	0.120
485/2758	0.182
498	0.516
878	0.120
991/5/1	0.065

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1563-प्रकाशन-भू-अर्जन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—रामनगर  
(ग) ग्राम—अमझौरी रामाधीन  
(घ) क्षेत्रफल—0.942 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
129/2ख	0.342
129/2/ग	0.300
129/2/घ	0.300
योग . .	0.942

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 4 जून 2018

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र.-11-अ-82-2017-18-3003.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये की आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल  
(ख) तहसील—सोहागपुर  
(ग) ग्राम—नवलपुर  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—(निजी भूमि) 1.536 हेक्टर भूमि एवं परिसम्पत्ति.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
22/1	0.020
22/3/ख	0.010
52	0.030
1116	0.036
1106	0.072
1032	0.030
1186	0.081
1278/2	0.096
1118	0.041

(1)	(2)
22/3/क	0.010
1191/1	0.091
121	0.096
1117/2	0.055
1105	0.034
1192/2	0.070
1194/1/2	0.040
690	0.121
1049/3	0.041
1191/2	0.051
48	0.077
127	0.072
1111	0.084
1099	0.036
1182	0.070
1278/3	0.131
778	0.041
	योग . . . 1.536

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—हरदी जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुभा श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.